मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 4-1/2012/नियम/चार भोपाल,दिनांक 9 मार्च 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 तथा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 वेतनमानों में मंहगाई भत्ते की दर का निर्धारण।

-•-

राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को छठवां वेतनमान प्राप्त हो रहा है, परन्तु राज्य शासन के कतिपय उपक्रमों/निगमों आदि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों जो राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर हैं को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम,1989 अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 के वेतनमानों में ही वेतन प्राप्त हो रहा है ।

2/ राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न विचार में रहा है कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के लिए मँहगाई भत्ते में की गई वृद्धि के लाभ की गणना वर्तमान में म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम,1989 अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 वेतनमान प्राप्त कर रहे उपक्रमों/निगमो/मंडलों आदि के ऐसे कर्मचारियों को जो राज्य शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं के लिए किस रीति से की जाए ?

3/ अतः राज्य शासन द्वारा समग्र विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.1.2012 से वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में मंहगाई भत्ते के संबंध में समय-समय पर जारी ज्ञापनों में उल्लेखित गणना संबंधी निर्देशों को समाप्त करते हुये अब म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1989

में प्राप्त मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो) का 560 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिया जाए ।

4/ राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-1-2012 से ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है, उनके लिए मंहगाई भत्ते की गणना वेतन+मंहगाई वेतन के योग पर 77 प्रतिशत की दर से की जाए ।

5/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों, तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा ।

6/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।

7/ इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग